भारतीय दण्ड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

मुझे ऐसा ज्ञात/संज्ञान हुआ है कि एस0वाई0एल0 नहर के केस मे माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने की सम्भावना है। न्यायालय के निर्णय के पक्ष/विपक्ष के लोग धरना/प्रदर्शन आदि कर सकते है। इसकी आड मे कुछ असामाजिक तत्व सरकारी सम्पत्ति/नहरों को मुकशान पहुचा सकते है। कानून एव व्यवस्था बनाये रखने, सरकारी, गैर सरकारी सम्पत्ति व नहरों को नुकशान न पहुचे तथा आमजन को कोई भी असुविधा न हो के दृष्टिगत प्रतिबन्ध लगाना अनिवार्य है।

अतः मै आमना तस्नीम, भा0प्र0से0, अतिरिक्त जिलाधीश, जीन्द भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जीन्द मे से गुजरने वाली नहरों पर पांच व पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर और कोई भी वस्तु जैसे लाठी, जैली, गडांसी, तलवार, असला आदि जो हथियार के रुप मे प्रयोग हो सके पर प्रतिबन्ध लगाती हूँ।

इन आदेशों को जिला जीन्द मे ढोल बजाकर जिला लोक सम्पर्क विभाग की वैन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा विभिन्न भाषाओं के सभी समाचार पत्रों मे प्रैस नोट द्वारा उपमण्डल, तहसील, नगर निगम, खण्ड कार्यालयों के सूचना पट्टो, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पंचायत घरों तथा पुलिस स्टेशन के सूचना पटो पर इन आदेशों की प्रतियां चस्पा की जावे।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के अनुसार दण्ड का भागी होगा।

आदेश आज दिनांक ......10-1-16...... को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर द्वारा जारी किये

DISTRICT MAGISTRATE JIND

अतिरिक्त जिलाधीश, जीन्द।

पृ0 क्रमांक 14396-14428 /एम0ए0 दिनांक 10-1-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियणा सरकार गृह विभाग चण्डीगढ़।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पंचकुला।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तचर विभाग हरियाणा पंचकूला।
5. आयुक्त हिसार मण्डल, हिसार।
6. पुलिस महानिरिक्षक हिसार मण्डल, हिसार।
7. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ।
8. हरियाणा में सभी जिला मैजिस्ट्रेट।
9. जिला एवं सत्र न्यायधीश जीन्द।
10. अतिरिक्त उपायुक्त जीन्द।
11. पुलिस अधीक्षक जीन्द।
12. उप--मण्डल अधिकारी (ना0) जीन्द/नरवाना/सफीदो।
13. जिला राजस्व अधिकारी/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
14. जिले के समस्त तहसीलदार /उप तहसीलदार।
15. जिला सूचना एवं लोक सर्म्पक अधिकारी जीन्द।
16. जिला के सभी कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगरपरिषद।
17. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जीन्द को जिला जीन्द की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतू।
18. उप निदेशक, कृषि, जीन्द।
19. जिला वन मण्डल अधिकारी, जीन्द।
20. स्टैनो टू उपायुक्त/नगराधीश, जीन्द।

अतिरिक्त जिलाधीश, जीन्द।